<u>विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद (श्री त्रिपाठी) की अध्यक्षता में दिनांक 27-09-2013 को भारत सरकार द्वारा निर्गत कंज्यूमर फोरा के सुदृढीकरण फेज की नवीनतम गाइड लाइन्स के अनुसार प्रस्ताव लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र, उपभोक्ता हेल्प लाइन्स की प्रदेश में स्थापना आदि के संबंध में हुई बैठक का कार्यवृत्त।</u>

<u>बैठक की उपस्थिति</u>

1- मो0रईस सिदद्दीकी, निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0, लखनऊ।

2- श्री सुधाकर अदीब, नियंत्रक, विविध माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- श्री जी0वी0मिश्रा, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

4- श्री ओ0पी0सिंह, उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनउ।

5- श्री आर0के0गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0स0क0नि0 निगम लि0, उ0प्र0, लखनउ।

1- बैठक के शुभारम्भ में उपभोक्ता फोरम के सुदृढीकरण हेतु भारत सरकार की नवीनतम गाइड लाइन्स के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद की अध्यक्षता में दिनांक 04-09-2013 को हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में समीक्षा की गई। उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि 33 जनपदों में जिला फोरम के भवन निर्माण के संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 20 करोड के प्रस्ताव तैयार किये जाने की स्थिति से अवगत कराया गया। इस संबंध में विशेष सचिव द्वारा निर्देश दिये गये:-

(1) जिन जनपदों हेतु भूमि उपलब्ध है उन स्थानों पर निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण सम्बधी प्रस्तावों एवं जिन स्थानों पर निर्माण कार्य अपूर्ण हो तथा धनराशि की आवश्यकता हो को प्रथम चरण मे ले लिया जॉय।

(2) मेडियेशन सेन्टर के निर्माण के प्रस्ताव द्वितीय चरण में लिये जॉय।

(3) तीसरे चरण में जिन जनपदों में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नही है, रखा जॉय।

(4) पुराने 24 जनपदो में भवन के निर्माण एवं सुदृढीकरण के प्रस्ताव चौथे चरण में रखे जाय।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव शासन को परीक्षणोपरान्त एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश निबंधक, राज्य आयोग एवं समाज कल्याण निर्माण निगम को दिये गये।

(कार्यवाही-निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम)

2- भारत सरकार के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि गत वित्तीय वर्ष 2012-13 तक कुल 12.83 करोड की धनराशि प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष 2.49 करोड के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे जा चुके है। अवशेष धनराशि 10,34,31,000 के सापेक्ष 5,13,42,000 का प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष में हुआ है तथा शेष 5,20,89,000 की धनराशि राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। इस संबंध में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव शीध्र उपलब्ध कराने के निर्देश नियंत्रक को दिये गये। **(कार्यवाही-नियंत्रक विधिक माप विज्ञान)**

3- निबंधक, राज्य आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार से भवन मद में रू0 1262.66 लाख प्राप्त हुआ तथा राज्य सरकार द्वारा भवन मद में 159.80 लाख आवंटित किये गये इस प्रकार कुल 1422.46 लाख उपलब्ध कराये गये। रू0 75.00 लाख राज्य आयोग के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को दिये गये। उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया गया है। उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा 1347.46 लाख के सापेक्ष 1277.85 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य आयोग को भेज दिया गया है। गैर भवन

http://shasanadesh.up.nic.in

मद की पी0एल0ए0 एवं बैक में रक्षित अवशेष धनराशि रू0 66,24,000 को तत्काल राजकोष में शासन के निर्देशों के क्रम में जमा कराने एवं भवन निर्माण मद की उपयोगिता धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीध्र उपलब्ध कराने के निर्देश विशेष सचिव द्वारा निबंधक, राज्य आयोग को दिये गये।

(कार्यवाही-निबंधक राज्य आयोग/उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम)

4- राज्य में उपभोक्ता हैल्प लाइन्स की स्थापना के संबंध में नियंत्रक द्वारा अवगत कराया है कि राज्य में उपभोक्ता हेल्प लाइन्स वी0 एस0 एन0 एल0 के माध्यम से संचालित कराये जाने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित है, भारत सरकार द्वारा इस हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि रू0 27.60 लाख का अनुपूरक से प्राविधान कराये जाने का प्रस्ताव भेजा गया था किन्तु प्राविधान नहीं हो सका। विशेष सचिव द्वारा विभाग में सम्भावित बचतों के सापेक्ष पुर्नविनियोग का प्रस्ताव परीक्षाणोंपरान्त उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही-नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग)**

5- निबंधक, राज्य आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला फोरम एवं राज्य आयोग में तैनात कार्मिको का विभागीय कैडर है तथा उनकी सेवानियमावली भी प्रख्यापित की जा चुकी है। जिला फोरम व राज्य आयोग के मा0 सदस्यगणों के मानदेय की बढोतरी के संबंध में प्रस्ताव शासन में विचाराधीन होने के बारे में निबंधक द्वारा अवगत कराया गया। इस संबंध में अवगत कराया गया कि निबंधक का प्रस्ताव मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनोपरान्त वित्त विभाग सन्दर्भित किया गया था किन्तु वित्त विभाग द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है। विशेष सचिव महोदय द्वारा भारत सरकार के पत्र क्रम में पुन: वित्त विभाग से अनुरोध करने के निर्देश दिये जाये। **(कार्यवाही-उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2)**

हरिकान्त त्रिपाठी
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनु0-1
सं0- 25/993/84-1-2013-16 बामा/2012
लखनऊ दिनांक 25 सितम्बर 2013

<u>प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1-निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2-नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उ0प्र0, लखनऊ।
4-बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।
5-निजी सचिव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद महोदय के अवलोकनार्थ
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in